झारखण्ड सरकार

छात्रवृत्ति एवं वृत्तियाँ

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी छात्रों को मेधा छात्रवृत्ति देने की इस योजना के अन्तर्गत :-

- वर्ग 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को मेधा छात्रवृति दी जाती है,
- छात्रों को 200/- रू0 प्रतिछात्र प्रतिमाह 10 माह के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है,
- यह छात्रवृत्ति कक्षा 8 से प्रारंभ प्रतिमाह होकर कक्षा 10 तक जारी रहती है,
- प्रत्येक प्रखण्ड के 10 छात्रों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है,
- 10 छात्रों में दो अनुसूचित जन जाति, दो अनुसूचित जाति तथा दो छात्र का होना अनिवार्य है,
- छात्रवृत्ति हेतु छात्रों का चयन राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा किया जाता है,
- चयन परीक्षा में कक्षा 6 में तीन सर्वोच्च स्थान प्राप्त तथा कक्षा 7 में अध्ययनरत छात्र/छात्रा भाग ले सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में इस योजना के लिए 100.00 लाख (एक करोड़) रूपये विमुक्त किए गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए इस योजना हेतु गैर जनजातीय क्षेत्र के लिए 36.00 लाख (छत्तीस लाख), विषेष अंगीभूत योजना के लिए 18.00 लाख (अट्ठारह लाख) एवं जनजातीय क्षेत्र के लिए 56.00 लाख (छप्पन लाख)कुल 110.00 लाख (एक करोड़ दस लाख) रूपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

Published on National Portal of India (http://www.india.gov.in)